रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220977
CG-DL-E-08082020-220977

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
No. 313] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2020

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएलएंडसीपी/अधिसूचना/01/एफ.एस.एस.ए.आई-2018. — खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2019 का प्रारूप भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं0. स्टैंडर्ड्स/सीपीएलएंडसीपी/अधिसूचना(01)/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) द्वितीय संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जुलाई 2021 से इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के "अनाज और अनाज उत्पाद" से संबन्धित विनियम 2.4 के "सागो के आटे" से संबन्धित उप-विनियम 2.4.28 के पश्चात निम्न को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2.4.29. गेहूँ का चोकर.- गेहूँ का चोकर अनाज का छिलका होता है। इसमें संयुक्त पेरीकार्प और एल्यूरोन होते हैं। इसके साथ गेहूँ के बीज का अंदरूनी भाग चिपका हो सकता है। यह फफूँद और बासीपन की गंध अथवा खट्टेपन से तथा ढेलों, गंदगी और धातु के कणों सहित बाहरी सामग्री से मुक्त हो। यह फफूँदी और कीट से ग्रस्त न हो। यह रंग में हल्का भूरा हो।

यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप हो:

विशेषताएँ	अपेक्षाएँ
आर्द्रता, द्रव्यमान अनुसार %, से अनधिक	12.5
शुष्क आधार पर कच्चा प्रोटीन (N*6.25), द्रव्यमान अनुसार %, से अन्यून	9.0
कच्चा रेशा, भारानुसार %, से अनधिक	12.0
अम्ल अघुलनशील भस्म, शुष्क आधार पर, द्रव्यमान अनुसार %, से अनधिक	0.25
अम्ल तत्व, से अनधिक	6

2.4.30. गैर-किण्वित सोयाबीन उत्पाद.-

1. गैर-किण्वित सोयाबीन उत्पाद वे उत्पाद हैं, जिनके मुख्य संघटक सोयाबीन अथवा सोया व्युत्पन्न अथवा दोनों (यथा सोयाबीन आटा, सोयाबीन सांद्र, सोयाबीन आइसोलेट अथवा वसामुक्त सोया) और जल होते हैं और जिनका उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के बिना किया जाता है। इसमें उत्पाद का लाक्षणिक सुवास, रंग और बनावट हो। उत्पाद में कोई बाहरी सामग्री दिखाई न दे।

(1). सोयाबीन पेय पदार्थ और संबद्ध उत्पाद:

(क) सादा सोयाबीन पेय पदार्थ: सादा सोयाबीन पेय पदार्थ से वह दूधिया द्रव अभिप्रेत है जो सोयाबीन से प्रोटीन और अन्य संघटक गर्म/ठंडे पानी से धोकर अथवा अन्य भौतिक साधनों से अलग करके और ऐच्छिक संघटक डालकर तैयार किया जाता है। उत्पादों से रेशे अलग किए जा सकते हैं।

(ख) सम्मिश्र/मिश्र/सुवासित सोयाबीन पेय पदार्थ: सम्मिश्र/मिश्र/सुवासित सोयाबीन पेय पदार्थ से वह दूधिया द्रव अभिप्रेत है, जो सादा सोयाबीन पेय पदार्थ में ऐच्छिक

संघटक डालकर तैयार किया जाता है। इसमें मीठे सोयाबीन पेय पदार्थ, मसालेदार सोयाबीन पेय पदार्थ, नमकीन सोयाबीन पेय पदार्थ जैसे उत्पाद शामिल हैं।

(ग) सोयाबीन आधारित पेय पदार्थ: सोयाबीन आधारित पेय पदार्थ से वे दूधिया द्रव अभिप्रेत हैं, जो सोयाबीन पेय पदार्थों में ऐच्छिक संघटक डालकर तैयार किए जाते हैं और जिनमें सम्मिश्र/सुवासित सोयाबीन पेय पदार्थों से कम प्रोटीन अंश होते हैं।

(2). सोयाबीन दही और सम्बद्ध उत्पाद:

(क) अर्धठोस सोयाबीन दही: अर्धठोस सोयाबीन दही से वह अर्धठोस उत्पाद अभिप्रेत है, जो सोयाबीन प्रोटीन को सोयाबीन द्रव में जामन डालकर जमाया जाता है। इसे मैग्नेशियम क्लोराइड (*निगारी),* कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नेशियम सल्फेट और ग्लुकोनो-δ-लैक्टोन से जमाया जा सकता है।

(ख) सोयाबीन दही: सोयाबीन दही से वह ठोस उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें जल अंश अधिक होता है, जो सोयाबीन द्रव में जामन डालकर जमाया जाता है। इसे मैग्नेशियम क्लोराइड (*निगारी),* कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नेशियम सल्फेट और ग्लुकोनो-δ-लैक्टोन से जमाया जा सकता है।

(3). संपीडित सोयाबीन दही.- संपीडित सोयाबीन दही से आंशिक रूप से निर्जलित सोयाबीन की वह दही अभिप्रेत है जिसमें जल अंश सोयाबीन दही से बहुत कम होता है और जिसकी बनावट चबाऊ उत्पाद जैसी होती है।

(4). निर्जल सोयाबीन दही परत.- निर्जल सोयाबीन दही परत से वह निर्जल सोयाबीन दही परत अभिप्रेत है, जो सोयाबीन द्रव निर्मिति की स्थिर खुली सतह से रोल रूप में अथवा रोल किए बिना उतारी जाती है और जिसे निर्जल बनाया जाएगा। निर्जलीकरण से पहले उसे नमक के घोल में डुबोया जा सकता है।

(5). टोफू.- (क) टोफू का उत्पादन सोयाबीन के दूधिया द्रव को जमाकर और उसके नरम सफेद ब्लॉक बनाकर किया जाता है। दूधिया द्रव मैग्नेशियम क्लोराइड (*निगारी),* कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नेशियम सल्फेट और ग्लुकोनो-δ-लैक्टोन अभिकर्मक अकेले अथवा मिलाकर जमाया जा सकता है। उत्पाद में वे मसाले/जड़ी-बूटियाँ हो सकती हैं जिनके मानदंड खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.9 में विहित हैं।

(ख) यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप हो:

लक्षण	अपेक्षाएँ
आर्द्रता (द्रव्यमान अनुसार %), अधिकतम	76.0
कुल एश (द्रव्यमान अनुसार %), रेंज	0.3-2.0
प्रोटीन (शुष्क आधार पर), द्रव्यमान अनुसार %, न्यूनतम	8.0
वसा (द्रव्यमान अनुसार %), रेंज	2.0-5.0
कच्चा रेशा (शुष्क आधार पर), द्रव्यमान अनुसार %, रेंज	0.5-6.0

अनुमापनीय एसिडिटी, अधिकतम (लैक्टिक एसिड के रूप में), %	1.5
यूरीज इंडेक्स वैल्यू	0.05-0.2 pH यूनिट राइज

2. उपखंड (1) से (4) के तहत आने वाले उत्पादों के लिए अनुमत संघटक:

(क) आधरभूत संघटक:

(i) सोयाबीन और/अथवा सोया व्युत्पन्न

(ii) जल

(ख) ऐच्छिक संघटक:

(i) खाद्य तेल
(ii) शर्कराएँ
(iii) खाद्य लवण
(iv) मसाले, सीजनिंग और कंडीमेंट
(v) अन्य उपयुक्त संघटक

उपर्युक्त सभी संघटक इन विनियमों, में यथानिर्धारित संबंधित मानदंडों के अनुरूप हों।

3. उप-खंड (1) से (4) के तहत आने वाले उत्पाद निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे:

मानदंड	**अपेक्षाएँ**						
	सोयाबीन पेय पदार्थ और संबंधित उत्पाद			**सोयाबीन दही और संबंधित उत्पाद**		**संपीडित सोयाबीन दही**	**निर्जल सोयाबीन दही की पपड़ी**
	सादा सोयाबीन पेय पदार्थ	**सम्मिश्र/ मिश्र/ सुवासित सोयाबीन पेय पदार्थ**	**सोयाबीन आधारित पेय पदार्थ**	**अर्धठोस सोयाबीन दही**	**सोयाबीन दही**		
आर्द्रता ग्रा॰/100ग्रा॰	-	-	-	92.0 से अन्यून	92.0 से अनधिक अथवा उसके बराबर	75.0 से अनधिक अथवा उसके बराबर	20.0 से अनधिक अथवा उसके बराबर
प्रोटीन, ग्रा/100 ग्रा	2.0 से अन्यून अथवा उसके बराबर	2.0 से अन्यून अथवा उसके बराबर	0.8 से अन्यून अथवा उसके बराबर परंतु 2.0 से अनधिक	2.5 से अन्यून अथवा उसके बराबर	3.5 से अन्यून अथवा उसके बराबर	13.0 से अन्यून अथवा उसके बराबर	30.0 से अन्यून अथवा उसके बराबर

यूरीज इंडेक्स वैल्यू	0.05-0.2 pH यूनिट राइज	0.05-0.2 pH यूनिट राइज	0.05-0.2 pH यूनिट राइज	0.05-0.2 pH यूनिट राइज	0.05-0.2 pH यूनिट राइज	0.05-0.2 pH यूनिट राइज	0.05-0.2 pH यूनिट राइज। ”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./170/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं0 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन हुआ था –

i. फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

ii. फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;

iii. फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;

iv. फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;

v. फा.सं. 1-83एफ/एससीआई॰पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

vi. फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;

vii. फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

viii. फा.सं.पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

ix. फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

x. फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

xi. फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;

xii. फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशएंडफिशरिजप्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013,तारीख 11 जनवरी, 2016;

xiii. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट1 खाद्य/अधिसूचना (खाद्यसहयोज्य/)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

xiv. फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;

xv. फा. सं॰ 3-14 एफ़/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई– 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;

xvi. फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;

xvii. फा.सं.1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;

xviii. एफ़. सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितंबर, 2016;

xix. फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;

xx. फा.सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

xxi. एफसं. 1-110(2)/एसपी (जैविकखतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;

xxii. फा. सं. मानक/एसपी(जलएवंपेय)/अधि.(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;

xxiii. फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जलऔरसुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;

xxiv. एफ.सं. पी./15025/93/2011-पीएफ़ए/एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;

xxv. फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ़एस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;

xxvi. फा. सं. मानक/ओ.एंडएफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;

xxvii. फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;

xxviii. फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्यऔरमत्स्यउत्पाद) एफ़एसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;

xxix. फाइलसं. मनाक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;

xxx. फाइलसं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;

xxxi. एफ.सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 31 जुलाई, 2017;

xxxii. एफ. सं. मानक/एफ़एवंवीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017

xxxiii. फाइलसं. 1-94(1)/एफ़एसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;

xxxiv. फा.सं. मानक/एम. एंडएम. पी. आई. पी. (1)/एस. पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;

xxxv. फा. सं मानक/एसपी (पानीएवंपेय)/अधि. (1)/एफ़एसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;

xxxvi. फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछलीऔरमछलीउत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;

xxxvii. एफ. सं. 2/मानक/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एँफ़एसएसऐआई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;

xxxviii. एफ. सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;

xxxix. एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना/एफएसएसआई-2016,12 अक्टूबर, 2017;

xl. एफ. सं. 2/स्टैंडस/सीपीएल&सीपी/अधिसूचना/एँफ़एसएसएआई-2016(भाग) , तारीख 24 अक्टूबर, 2017;

xli. फा.सं.ए-1/मानक/एगमाक/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;

xlii. एफ 1/योजक/मानक/बीआईएसअधिसूचना/एफएसएसएआई/2016 तारीख 17 नवंबर, 2017;

xliii. एफ.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2017, 2016 तारीख 20 फरवरी,2018;

xliv. एफ.सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी(फोर्टीफाईड और एनरिच्ड फ़ूड)-रेग/एँफ़ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;

xlv. स.1/शिशुपोशण/मानक/अधिसूचना/भा.खा.सु.माँ.प्रा/2016तारीख 13 मार्च, 2018;

xlvi. एफ॰ सं॰ 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;

xlvii. एफ॰ सं॰ स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच /अधिसूचना (03)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;

xlviii. स. /स्टैंडस/सीपीएल एंड सी पी20-अधिसूचना/एफएसएसएआई/16, तारीख 4 मई, 2018;

xlix. फाइल सं0 मानक/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस/लोलीस अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई , 2018;

l. फा॰ सं॰ मानक/एसपी(जल और सुपेय) अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018;

li. मानक/सीपीएलऔरसीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;

lii. फाइल सं0 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 8 नवंबर, 2018;

liii. फा॰ सं॰ मानक/03/अधिसूचना (सीएफओआई तथा वाईसी)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 16 नवंबर, 2018;

liv. फा० नं० मानक/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(7)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 नवंबर, 2018;

lv. फा. सं. मानक/एम एंड एमपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 19नवंबर, 2018;

lvi. फा. सं. मानक/एफ़&वीपी/अधिसूचना(04)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 19 नवंबर, 2018;

lvii. फा. सं.1-116/वैज्ञानिक समिति/नोटिफिकेशंस/2010-एफ.एस.एस.ए.आई,तारीख26 नवम्बर, 2018;

lviii. फा. सं. 02-01/ ईएनएफ़-1 (1)/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 29 जनवरी, 2019;

lix. फ़ा॰सं॰ एसटीडीएस/एफ़ एंड वीपी/अधिसूचना(07)/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 5 जुलाई, 2019;

lx. फा. सं. मानक/ओ एवं एफ/ अधिसूचना (10)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 5 जुलाई, 2019;

lxi. फा. सं0. स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और पेय)/अधिसूचना(5)एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 30 अक्टूबर 2019;

lxii. फ़ा. सं. एमएंडएमपी/ विविध मानक/अधिसूचना(03)/एफ़एसएसएआई-2018, तारीख 28 नवंबर, 2019; और

lxiii. फा. सं0. 1-110/एसपी(जैविक खतरे)/संशोधन-1/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 23 जून, 2020।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2020

F. No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2018.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2019, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, Food Safety and

Standards Authority of India, number File No. Stds/CPL & CP/Notification/01/FSSAI-2018, dated the 29th January, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th February, 2019;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2021.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.4 relating to "CEREALS AND CEREAL PRODUCTS", after sub-regulation 2.4.28 relating to "Sago Flour", the following sub-regulations shall be inserted, namely-

"2.4.29. Wheat bran.- Wheat bran is the outer layer of the grain. It consists of the combined pericarp and aleurone. It may have adhering endosperm of the wheat kernel. It shall be free from musty and stale odour or sourness and from lumps, dirt and extraneous matter including metallic pieces. It shall be free from fungus or insect infestation. It shall be light brown in colour.
It shall conform to the following standards:

Parameter	Limits
Moisture, % by mass, Not more than	12.5
Crude Protein on dry basis (N*6.25), % by mass, Not less than	9.0
Crude Fibre, % by weight, Not more than	12.0
Acid Insoluble Ash on dry basis, % by mass. Not more than	0.25
Acid value , Not more than	6

2.4.30. Non- fermented soybean products.-

1. Non – fermented soybean products are the products, the main ingredients of which are the soybean or soy derivatives or both, (e.g. soybean flour, soybean concentrates, soybean isolates or defatted soya) and water and are produced without fermentation process. It shall have the characteristic flavour, color and texture of the product without any visible foreign matters in the products.

(1). Soybean Beverages and Related Products:

(a) Plain soybean beverage: Plain soybean beverage is the milky liquid, prepared from soybeans by eluting protein and other components in hot/cold water or other physical means, without adding optional ingredients. Fibres can be removed from the products.
(b) Composite or mixed or flavoured soybean beverages: Composite or mixed or flavoured soybean beverages are the milky liquid, prepared by adding optional ingredients to plain soybean beverages. It includes products such as sweetened soybean beverages, spiced soybean beverages, salted soybean beverages.
(c) Soybean - based beverages: Soybean - based beverages are the milky liquid products prepared by adding optional ingredients to soybean beverages, with lower protein content than composite/flavoured soybean beverages.

(2). Soybean Curd and Related Products:

(a) Semisolid soybean curd: Semi solid soybean curd is the semisolid product in which soybean protein is coagulated by adding coagulant into the soybean liquid. It may be coagulated using

magnesium chloride (*nigari*), calcium sulfate, calcium chloride, citric acid, acetic acid, magnesium sulfate and glucono -δ- lactone.

(b) Soybean curd: Soybean curd is the solid product with higher water content, and is made from soybean liquid and coagulated by adding coagulant. It may be coagulated using magnesium chloride (*nigari*), calcium sulfate, calcium chloride, citric acid, acetic acid, magnesium sulfate and glucono -δ- lactone.

(3). Compressed Soybean Curd.- Compressed soybean curd is partially dehydrated soybean curd, of which the water content is much lower than Soybean curd and has a chewy texture.

(4). Dehydrated Soybean Curd Film.- Dehydrated soybean curd film is obtained from the uncovered still surface of soybean liquid preparation, with or without folding up, which will be dehydrated. It may be dipped in salt solution prior to dehydration.

(5). Tofu.- (a) Tofu is made by coagulating milky liquid obtained from soybean, and then pressing into soft white blocks. The milky liquid may be coagulated using magnesium chloride (*nigari*), calcium sulfate, calcium chloride, citric acid, acetic acid, magnesium sulfate and glucono -δ- lactone, reagents either in combination or individually. The product may contain spices or herbs whose standards are prescribed in sub – regulation 2.9 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

(b) It shall conform to the following standards:

Parameters	Limits
Moisture (% by mass), Max.	76.0
Total Ash (% by mass), Range	0.3-2.0
Protein (on dry basis) % by mass, Min.	8.0
Fat (% by mass), Range	2.0-5.0
Crude fiber (on dry basis) % by mass, Range	0.5-6.0
Titrable acidity Max. (as LACTIC ACID) %	1.5
Urease Index Value	0.05-0.2 pH Units Rise

2. Permitted ingredients for products covered under sub-clause (1) to (4):

(a) Basic Ingredients:

(i) Soybean or soy derivatives, or both,
(ii) Water

(b) Optional ingredients:

(i) Edible oil
(ii) Sugars
(iii) Edible Salts
(iv) Spices, seasoning and condiments
(v) Other ingredients as appropriate

All the above mentioned ingredients shall conform to their respective standards as provided under these regulations.

3. Products covered under sub-clause (1) to (4) shall conform to the following standards:

Parameter	Requirements						
	Soybean Beverages and Related Products			Soybean Curd and Related Products		Compressed Soybean Curd	Dehydrated Soybean Curd Film
	Plain soybean beverage	Composite/ Mixed/flavoured soybean beverages	Soybean - based beverages	Semisolid soybean curd	Soybean curd		
Moisture, g/100g	-	-	-	Not less than 92.0	Not more than or equal to 92.0	Not more than or equal to 75.0	Not more than or equal to 20.0

Protein, g/100g	Not less than or equal to 2.0	Not less than or equal to 2.0	Not less than or equal to 0.8 but not more than 2.0	Not less than or equal to 2.5	Not less than or equal to 3.5	Not less than or equal to 13.0	Not less than or equal to 30.0
Urease Index Value	0.05-0.2 pH Units Rise	0.05-0.2 pH Units Rise	0.05-0.2 pH Units Rise	0.05-0.2 pH Units Rise	0.05-0.2 pH Units Rise	0.05-0.2 pH Units Rise	0.05-0.2 pH Units Rise."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer
[Advt.III/4/Exty./170/2020-21]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers-

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
(ii) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
(iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
(iv) F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
(v) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
(vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
(vii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
(viii) F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
(ix) F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
(x) F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
(xi) F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
(xii) F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
(xiii) No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
(xiv) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
(xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
(xvi) F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
(xvii) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
(xviii) F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
(xix) F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
(xx) F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
(xxi) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
(xxii) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
(xxiii) F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
(xxiv) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
(xxv) F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
(xxvi) F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
(xxvii) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
(xxviii) F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
(xxix) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
(xxx) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
(xxxi) F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;

(xxxii) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;

(xxxiii) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;

(xxxiv) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;

(xxxv) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;

(xxxvi) F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September,2017;

(xxxvii) File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;

(xxxviii) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;

(xxxix) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;

(xl) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;

(xli) F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;

(xlii) F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;

(xliii) F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;

(xliv) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;

(xlv) F. No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated 13th March, 2018;

(xlvi) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;

(xlvii) File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;

(xlviii) No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;

(xlix) F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;

(l) F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018;

(li) Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018;

(lii) File No.1/Additional Additives/Stds/Notification/FSSAI/2016, Dated 8th November, 2018and

(liii) F.No. Stds/03/Notification (CFOI&YC)/FSSAI-2017, Dated 16th November, 2018.

(liv) F. No. Stds/O&F/Notification (7)/FSSAI-2017, dated 19th November, 2018;

(lv) F.No. Stds/M&MP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;

(lvi) F. No. Stds/F&VP/Notifications (04)/FSSAI-2016, dated 19th November, 2018;

(lvii) F. No. 1-116/Scientific Committee (Noti.)/2010-FSSAI, dated 26thNovember, 2018;

(lviii) F. No. 02-01/Enf-1(1)/FSSAI-2012, dated 29th January, 2019;

(lix) F.No. Stds/F&VP/Notification (07)/FSSAI-2018, dated 5th July, 2019;

(lx) F.No.Stds/O&F/Notification(10)/FSSAI-2017, dated 5th July, 2019;

(lxi) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notification(5) FSSAI-2018, dated 30th October, 2019 ;

(lxii) F.No. M&MP/Misc. Stds/Notification (03)/FSSAI-2018, dated 28th November, 2019; and

(lxiii) F.No.1-110/SP (Biological Hazards)/Amendment-1/FSSAI/2018, dated 23rd June, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 18:01:58 +05'30'